प्रेस नोट दिनांक-21.04.2025

(ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री राम बाबू यादव (स्पे0जज एससी/एसटी कोर्ट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 11000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना धीना के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 29.07.2019 को धारा 376,504,506 भादवि व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अनिल गुप्ता पुत्र कमला गुप्ता निवासी बेराडीह थाना धीना जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या-69/2019 धारा 376,504,506 भादवि व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना धीना में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री जय प्रकाश सिंह (एडीजीसी) व थाना धीना के पैरोकार का0 घनश्याम की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-21.04.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री राम बाबू यादव (स्पे0 जज एससी/एसटी कोर्ट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1. अनिल गुप्ता पुत्र कमला गुप्ता निवासी बेराडीह थाना धीना जनपद चन्दौली को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 11000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना नौगढ़ , चन्दौली

◆नौगढ पुलिस द्वारा अवैध गांजा तस्करी कर रहे 02 तस्करों को किया गया गिरफ्तार।

◆अभियुक्तों के कब्जे से 12 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा व तस्करी में प्रयोग की जा रही बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद।

◆ बरामद अवैध गांजे की अनुमानित कीमत 3.5 लाख रूपये है

चंदौली- श्री मोहित गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा परिक्षेत्र में अभियान चलाने हेतु जारी किये गये निर्देश के क्रम में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक, चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिगम्बर कुशवाहा, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व नामेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी नौगढ़ के पर्यवेक्षण में दिनांक- 20.04.2025 को थाना नौगढ़ की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्ज़े से 12 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.04.2025 को थानाध्यक्ष नौगढ़ अमित सिंह व उ0नि0 रामभवन यादव पुलिस टीम के द्वारा औरवाटाड़ मोड़ पर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान औरवाटाड़ की तरफ से आ रही संदिग्ध मोटरसाइकिल रोकने का प्रयास करने पर मोटरसाइकिल सवार पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार 02 व्यक्तियों को रोककर पूछताछ करने पर बताया कि इस बोरी में गांजा है जिसे हम लोगो को उन्नत नाम के लड़के ने दिया है। जिसको हम लोग एक मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर जिलेबिया मोड़ चकिया पहुंचाने जा रहे थे। जिसका नाम पता मालूम नहीं है. मोटरसाइकिल चालक की पहचान 1. आदिल खान पुत्र बालद खान निवासी दिपनगर वार्ड न0 25 थाना रावर्टसंगज जिला सोनभद्र व मोटरसाइकिल सवार की पहचान 2. तालिब पुत्र नासिर निवसी दिपगर वार्ड न0 19 थाना रावर्टसगंज जिला सोनभद्र के रूप में हुयी। जामातलाशी के दौरान एक बोरी के अन्दर 05 बण्डल पारदर्शी पन्नी में नाजायज गांजा बरामद हुआ जिसकी कुल मात्रा 12 कि0ग्रा0 500 ग्राम हुयी। दोनों अभियुक्तों को समय करीब 19.27 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नौगढ़ पर मु0अ0स0 23/2025 धारा 8/20/60 NDPS Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त

1.आदिल खान पुत्र बादल खान नि0 ग्राम दीपनगर वार्ड न0 25 थाना रावर्टसगंज जनपद सोनभद्र उम्र करीब 19 वर्ष

2.तालिब पुत्र नासिर नि0 ग्राम दीपनगर वार्ड न0 19 थाना रावर्टसगंज जनपद सोनभद्र उम्र करीब 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 23/2025 धारा 8/20/60 NDPS ACT थाना नौगढ जनपद चन्दौली

बरामदगी

1.कुल 12 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा

2.एक मोटरसाइकिल TVS राइडर बिना नम्बर प्लेट की

पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित सिंह थाना प्रभारी थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

उ0नि0 रामभवन यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली

हे0का0 परशुराम सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली

का0 विशाल यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली

का0 मो0गुफरान थाना नौगढ जनपद चन्दौली

का0 फारूक थाना नौगढ जनपद चन्दौली।